सं. ए-60011/13/2019-एमई/ट्रेनिंग

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता में कनिष्ठ अनुवादक और सहायक निदेशक (रा. भा.) के मौजूदा पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां आधोहस्ताक्षरी को कक्ष सं. 503-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 में प्रस्तुत की जा सकती है और सॉफ्ट कॉपी kumar.pranav@nic.in पर भेजी जा सकती है।

(कुमार प्रणव)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 011-23061881

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक समूह भर्ती नियम, 1979 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) के पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, पेमैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमानवे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।
   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
कनिष्ठअनुवादक	*01 (एक) (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित (सचिवालयी)	लेवल-6(छ) 35400-1,12,400/- रुपये)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं
6	7
30 साल (केन्द्र सरकारद्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेशके अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 (पांच) साल तक छूट) टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, जम्मू और कश्मीरस, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल औश्र स्पीति जिले तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।	(i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री ; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर परअनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप मेंहिंदी के साथ अंग्रेजी मेंमास्टर डिग्री; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर पर दोनों में से एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा विषय अनिवार्य विषय के रूप में; II हिन्दी से अंग्रेजी और विपरीत मेन मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र अथवा राज्य सरकार में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलें में अर्हताएं कर्मचारी चयन

	आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टिप्पण 2: यदि सक्षम प्राधिकारी के राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभाव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए कोई आयु और निर्धारित अवधि निर्धारित है।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाना है।
8	9	10
लागू नहीं	पदोन्नति प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष	नोट:पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के ही न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति ग्रेड द्वारा भर्ती के सीए में , जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि पुष्टिकरण के लिए एक विभागीय समिति	जिन पदों पर भर्ती करने के लिए यूपीएससी से परामर्श किया जाना है, उनमें परिस्थितियाँ।
11	12	13
<u>पदोन्निति :</u> वेतन स्तर –VI में कनिष्ठ अनुवादक जिसकी इस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा है तथा जैसा कि विनिर्दिष्ट है जिसने छः सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय पदोन्नति/ पुष्टि हेतु विभागीय नियमितीकरण समिति: (नियमितीकरण हेतु विचार किए जाने के	प्रत्येक मामले में पद पर नियुक्ति हेतु यूपीएससी के

टिप्पण 1: जहां अपनी अर्हता और पात्र सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठों का पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है वहां वरिष्ठों पर विचार किया जाएगा बशर्ते उन्होंने ऐसी आधे से अधिक अर्हरता सेवा अथवा दो वर्ष की पात्र सेवा, इनमे से जो भी कम हो, की आवश्यक सेवा में कमी और ऐसी अर्हरता अथवा पात्र सेवा को पहले से पूरा करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वाक पूरी कर ली है। टिप्पण 2 :पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हरता सेवा का आकलन करने के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले नियमित आधार पर अथवा उस तारीखको जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारशिों के आधार पर आशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से वेतन आयोगकी सिफारिशों पर आधारितवेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में प्रदान की गई सेवा होगी। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अधिकारी जो:- (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर धारित हों; अथवा (ii) वेतन स्तर-7 में पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख): कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो। टिप्पण 3: पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष तौर पर पात्र फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेत विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल उपरांत धारित किसी अन्य एक्स कैडर पद में नियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति	लिए) 1 अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं - अध्यक्ष 2 उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य 3 निदेशक (प्रशासन एवं सर्तकता) (स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक) – सदस्य 4 निदेशक एआईआईएच एंड पीएच कोलकाता द्वारा नामित कोई अधिकारी – सदस्य टिप्पण : किसी सीधी भर्ती पर पुष्टि के संबंध में विचाराधीन पदोन्नति समिति की कार्रवाई को अनुमोदनार्थ आयोग को प्रेषित किया जाएगा। यदि, हालांकि आयोग द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया जाता तो अध्यक्ष अथवा यूपीएससी के किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक का आयोजन किया जाएगा।	साथ परामर्श आवश्यक है।

द्वारा नियुक्ति की अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीखब को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो। टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जब से छठे वेतन आयेाग की सिफारिशों के आधार पर आशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया था) से पूर्व अधिकारी द्वारानियमित आधार पर प्रदत्त सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर समान ग्रेड पे अथवा विस्तारित वेतनमान में प्रदत्त सेवा माना जाएगा इसमें ऐसे मामले सम्मिलित नहीं होंगे जहां एक से अधिक पूर्व आशोधित वेतनमान को सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित किया गया है और जहां केवल उन्हीं पदों को लाभान्वित किया जाएगा जिनके लिए वे ग्रेड पे अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड पे होंगे।		

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2020

अधिसूचना

सा. का. नि............ -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1994 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में सहायक निदेशक (रा. भा.) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (सहायक निदेशक राजभाषा) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुप्रयोग – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) के पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शाक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7.**व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (राजभाष)	*01(एक)(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित सचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-10	चयन	35 साल (केन्द्र सरकारद्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेशके अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 साल तक छूट) टिप्प्ण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम	अनिवार्य: (i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री ; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप मेंहिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से हिंदी माध्यम से तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा माध्यमिक विषय के तौर पर मास्टर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के तौर पर; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में और अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर पर

					राज्य, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ शासित प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।	दोनों में से एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा विषय अनिवार्य विषय के रूप में;

पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती से नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितिवश एक वर्ष से अधिक समय के लिए दूर रहने पर हुई रिक्तियों को ऐसे केंद्र सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जायेगा जो (क) समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्त हों और (ख) भर्ती नियम के कॉलम 7 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनुभव और अर्हता रखते हों।	लागू नहीं है	समूह 'ख'विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि एवं पदोन्नति के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.निदेशक एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता -सदस्य 2.संस्थान के अपर निदेशक -सदस्य 3 . हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता के प्रमुख द्वारा नामित कोई अधिकारी –सदस्य	यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

फा.सं. ए.12018/42/2018-कुष्ठ

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार